



न्यायालय-जिला न्यायाधीश, प्रतापगढ (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी

आशा कुमारी, जिला न्यायाधीश

अपील दीवानी प्रकरण संख्या-06/2023

1. रमेश पिता मांगीलाल निवासी न्यारगरों का चौक प्रतापगढ
2. बद्रीलाल पिता मांगीलाल निवासी कृषि मण्डी रोड प्रतापगढ
3. विद्यासागर पिता मांगीलाल निवासी आर्य समाज के मन्दिर के सामने प्रतापगढ

--अपीलार्थी/प्रतिवादी

-बनाम-

ताराबाई पत्नी रामचन्द्र निवासी हाल मकान नम्बर-7 गली नम्बर-1 पंचवटी उदयपुर

--रेस्पोंडेंट/वादी

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक-25.04.2023 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
धरियावद श्री हरिश मेनारिया द्वारा मूल वाद प्रकरण संख्या-12/2023
ताराबाई बनाम रमेश वगैरा

उपस्थित-

1. श्री धर्मचन्द नागौरी-अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से
2. श्री अनील सिंघल-अधिवक्ता, रेस्पोंडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक-23.03.2026

01. अपीलार्थी ने यह अपील दिनांक-25.04.2023 को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, धरियावद द्वारा वादी आंशिक स्वीकार करने से व्यथित होकर पेश की गई है। आदेश में अपीलार्थी को प्रतिवादी व रेस्पोंडेंट को वादीया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

02. अपील उद्भव होने के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया कि शहर प्रतापगढ में मुख्य पोस्ट आफिस के पीछे राज राजेश्वरी माता मन्दिर की तरफ जाने का रास्ता है जिसके पूर्व दिशा की लाईन में वादीया के स्वामित्व आधिपत्य की एक दुकान व दुकान से लगी हुई एक नाल है। वादीया की दुकान व नाल पश्चिम रूख की होकर एक मंजिला पक्की बनी है व दुकान से लगी हुई दक्षिण दिशा तरफ नाल स्थित है जिससे वादीया अपने दुकान की छत पर आती जाती है जिसके पडौस पूर्व में वादीया की भाभी मनोरमा का मकान, पश्चिम में आम रास्ता राज राजेश्वरी माता मन्दिर, उत्तर में रामकन्या की दुकान व दक्षिण में प्रतिवादीगण की दुकान है। वादी की दुकान को वाद के साथ नजरी नक्शे में ए बी सी डी मार्क से दर्शाया गया है तथा दुकान से लगी नाल को सी डी ई एफ मार्क से दर्शाया गया



है जिस नाल का उपयोग उपभोग वादीया सालों से अपनी दुकान की छत पर आने जाने के लिये करती आ रही है।(जिसे आगे वादग्रस्त नाल के नाम से सम्बोधित किया जावेगा) दुकान व दुकान से लगी वादग्रस्त नाल वादीया को माता गटुबाई द्वारा की गई वसीयत से प्राप्त हुई थी। गटुबाई का स्वर्गवास दिनांक-14.02.2005 को हो गया है, जिसके बाद वादीया दुकान व वादग्रस्त नाल की एक मात्र मालिक व मुख्तीयार होकर काबिज चली आ रही है। वादीया की दुकान व वादग्रस्त नाल के दक्षिण दिशा तरफ प्रतिवादीगण का भूखण्ड व वादग्रस्त नाल के दक्षिण दिशा तरफ प्रतिवादीगण की एक दुकान पहले से बनी हुई है जिसके आगे पश्चिम दिशा तरफ प्रतिवादीगण और निर्माण कार्य कर दुकान बना रहे है इस हेतु प्रतिवादीगण ने पहले से बनी दुकान से लगभग डेढ फीट उत्तर दिशा तरफ बढ़ कर वादीया की नाल के ठीक सामने वादीया की नाल में आने जाने के रास्ते पर वादीया की नाल में आने जाने का रास्ता रोक कर अवरुद्ध करने के आशय से पिल्लर बना रहे है व नाल के ठीक आगे एक पिल्लर खडा कर रेंट सीमेंट, गिट्टी से भर रहे है जिसके लिये मना किया तो नहीं माने। अन्त में वादीया ने वादीया के स्वामित्व आधिपत्य की दुकान व दुकान से लगी वादग्रस्त नाल के सामने किसी तरह का निर्माण कार्य करने से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने व नाल के सामने किये पिल्लर को हटाने व नाल के आगे निर्माण नहीं करने सहित दुकान व दुकान से लगी वादग्रस्त नाल का मालिक घोषित करने का निवेदन किया। वादीया ने संशोधित वाद पेश कर वादग्रस्त नाल के सामने बगैर नगरपरिषद की इजाजत के सरकारी भूमि पर 10 फीट लम्बी एवं दो मंजिला उंची वादीया की नाल की तरफ आवगी दीवार घेर कर अवैध दीवार बना कर दुकान बनाना व पहली मंजिल पर छत डालना, वादीया की नाल में तोडफोड कर वादीया की नाल की तरफ पूरी दीवार घेर कर दरवाजा रखना व नाल के उपर वाले फालकी के भाग को जबरन तोड कर दूसरी मंजिल की छत डालने पर आमादा होना जिसे आदेशात्मक निषेधाज्ञा से तुडवाने का निवेदन किया।

03. प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश किया कि वादीया की दुकान होना स्वीकार है लेकिन दुकान के पास नाल उसकी होना स्वीकार नहीं है। वादीया की दुकान के दक्षिण ओर हीरालाल का प्लाट 588 वर्गफीट था जिसे दिनांक-13.03.89 को पंजीकृत विलेख के प्रतिवादी बट्टीलाल विद्यासागर द्वारा क्रय किया जिसमें प्लाट के उत्तर की ओर हीरालाल की दुकान अंकित है। उक्त नाल प्रतिवादीगण ने अपने क्रय की गई जमीन पर स्वयं बनाई जिसका वादीया का कोई सरोकार नहीं है। उसने नगरपालिका की स्वीकृति से दो दुकान व नाल बनाई जो स्वयं की दुकान के उपर मंजिल पर आने जाने हेतु बनाई है। वादग्रस्त नाल का भूभाग प्रतिवादी द्वारा क्रय किये गये भूभाग की जमीन है। प्रतिवादीगण ने वादीया के दरवाजे के सामने कोई निर्माण कार्य नहीं किया है अपने क्रय किये गये भूभाग पर ही दुकान का निर्माण किया व आगे खुला भूभाग है जिससे रास्ते को अवरुद्ध नहीं कर रहे है। प्रतिवादीगण ने नगरपालिका से खांचा भूमी क्रय की व दुकान का निर्माण सितम्बर 2014 में किया जो काम वादी के दावा करने से पहले



हो चुका हैं नाल और नाल की दीवार वादी की मिल्कीयत नहीं है। नाल प्रतिवादीगण की खरीदशुदा जमीन पर बनी है। प्रतिवादीगण ने निर्माण नगरपालिका की स्वीकृति से किया है। अन्त में वादीया का वाद खारिज करने का निवेदन किया।

04. पक्षकारान के अभिवचन के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गरइ-

1.आया वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण वांछित घोषणात्मक अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है, यदि हां तो किस प्रकार? -वादीया

2.क्या वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण वांछित स्थायी निषेधात्मक एवं आदेशात्मक अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी है? -वदीया

3.अनुतोष

4.आया वादीया संशोधित वाद की चरण संख्या-5 क ख ग के तथ्यों के आधार पर आदेशात्मक निषेधाज्ञा प्राप्त करने व निर्माण हटवाये जाने की अधिकारिणी है? -वादीया

05. शहादत में वादीया की ओर से पी०ड०-1 ताराबाई, पी०ड०-2 बाबुलाल, पी०ड०-3 शाकीर के बयान कराये व दस्तावेज प्रदर्श-1 लगायत-8 को प्रदर्शित करवाया। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में डी०ड०-1 रमेश के बयान कराये व दस्तावेज प्रदर्श ए-1 लगायत ए-7 को प्रदर्शित करवाये गये।

06. उभयपक्षों की सुनवाई उपरांत जैर अपील निर्णय पारित कर वादीया का वाद आंशिक तौर पर स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण की ओर से यह अपील पेश की गई है।

07. बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि वादग्रस्त नाल ना तो वादीया ने बनाई है ना ही वादीया की भूमि पर बनी हुई है बल्कि प्रतिवादीगण की क्रयशुदा भूमि 588 वर्गफीट भूमि पर बनी हुई है जो प्रतिवादीगण के स्वामित्व आधिपत्य की है। वादीया ने माता की वसीयत से वादग्रस्त नाल मिलना बताया लेकिन वादीया के पिता द्वारा वादीया की माता को की गई वसीयत में नाल का उल्लेख नहीं है। प्रतिवादीगण के विक्रय पत्र में भी वादग्रस्त नाल का उल्लेख नहीं है केवल दुकान का उल्लेख है, जिससे भी वादग्रस्त नाल वादीया की नहीं होते हुए भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादीया का वाद डिक्री करने में भारी अवैधता अनियमितता एवं भूल की है।

08. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता वादीया का तर्क है कि प्रतिवादी को भूमि वादीया के पिता ने विक्रय की थी एवं वादीया को नाल उसकी माता से वसीयत अनुसार दुकान के साथ मिली है जो वसीयत वर्ष-2004 की है तब नाल बाबत कोई विवाद ही नहीं था तो नाल का उल्लेख वसीयत में जानबूझकर किया गया हो, यह मानने योग्य नहीं है। प्रतिवादी ने नगरपालिका से क्रय की गई खांचा भूमि से अधिक भूमि पर अवैध निर्माण किया जिस बाबत कोई निर्माण स्वीकृति



नहीं है। प्रतिवादी की ओर से पूर्व में ली गई निर्माण स्वीकृति में भी नाल सम्मिलित होना नहीं बताया है। प्रतिवादी ने अवैध रूप से उसकी नाल में तोडफोड की है व रास्ता बन्द किया एवं पिल्लर बनाकर अधिक भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसे वादीया हटवाने की अधिकारी है, जो तथ्य वादीया ने अपनी साक्ष्य से साबित किये है एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए जो निष्कर्ष पारित किया है वह विधिसम्मत है। अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

09. मैंने विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय को यह देखना है कि विचारण न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने में कोई अवैधता, अनियमितता, कानूनी या वाकेआती भूल तो नहीं की गई है? पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तनकीवार मेरा निर्णय निम्न प्रकार है-

तनकी संख्या-1

10. इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीया पर था। वादीया ने वादग्रस्त नाल के स्वामित्व की घोषणा का अनुतोष चाहा है ऐसी स्थिति में यह तिय साबित करने का भार वादीया पर है कि वादग्रस्त नाल उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की है।

11. इस सम्बन्ध में वादीया ने अपने वाद पत्र में वादग्रस्त नाल उसकी दुकान से लगती हुई स्वयं की होना बताया व वादग्रस्त दुकान वसीयत में प्राप्त होना बताया है। वादग्रस्त नाल से लगी हुई दुकान वादीया के स्वामित्व आधिपत्य की नहीं हो, ऐसा प्रतिवादी का कथन नहीं रहा है। विवाद वादग्रस्त नाल के स्वामित्व आधिपत्य का पक्षकारों में रहा है। वादीया ने अपनी साक्ष्य में पिता हीरालाल की वसीयत प्रदर्श-6, माता गटुबाई की वसीयत प्रदर्श-7 को प्रदर्शित करवाया है। प्रदर्श-6 वसीयत वादीया के पिता व प्रतिवादीगण की भूमि के पूर्व स्वामी हीरालाल द्वारा दिनांक-19.07.2003 को निष्पादित कर अपनी चल अचल सम्पत्ति की व्यवस्था अपनी पत्नी, पुत्र, पुत्रियों के मध्य की गई है, जिसके अनुसार ध्मोत्तर दरवाजे के बाहर दुकाने, मकान व बाडा होना जिस पर दुकान व मकान बनाना, जो भूमि खसरा नम्बर-778 व 776 की होना जा पत्नी गटुबाई के हक में वसीयत की है। यह सही है कि प्रदर्श-6 में दुकान के साथ वादग्रस्त नाल का उल्लेख किया हुआ नहीं है, लेकिन यह भी उल्लेख योग्य है कि हीरालाल ने शहर प्रतापगढ की अपनी "सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति" की व्यवस्था अपनी पत्नी, पुत्र, पुत्रियों के मध्य की है जिसमें प्रत्येक सम्पत्ति का विगतवार विवरण उल्लेखित नहीं किया है कि किस सम्पत्ति पर किस प्रकार का निर्माण है और निर्माण किस माप व साईज का किया हुआ है, बल्कि फौरी तौर पर मकान, दुकान बाडा होने का उल्लेख किया गया है, ऐसी स्थिति में हीरालाल द्वारा अपनी पत्नी गटुबाई को की गई वसीयत में दुकान के पास वादग्रस्त नाल का उल्लेख नहीं करने का कोई प्रतिकूल प्रभाव वादीया के हक अधिकारों के विरुद्ध पडना नहीं पाया जाता है।



12. वादीया की ओर से गटुबाई माता द्वारा स्वयं के पक्ष में की गई वसीयत प्रदर्श-7 को प्रदर्शित करवाया गया है, जो दिनांक-08.12.2004 को निष्पादित वसीयत है जिसमें उसने विशिष्ट तौर पर पति से वसीयत के माध्यम से प्राप्त दुकान, मकान व बाड़े का विवरण दर्ज करते हुए निष्पादित की गई है जिसमें दुकान के पास दक्षिण की तरफ उपर जाने वाली वादग्रस्त सीढिया बनी होना जो दुकान व नाल पुत्री ताराबाई वादीया को वसीयत करना उल्लेखित किया है।

13. प्रतिवादी की ओर से हीरालाल से क्रय किये गये भूखण्ड का विक्रय पत्र पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है जिसमें 28X21 फीट कुल 588 वर्गफीट भूमि प्रतिवादीगण द्वारा क्रय करना बताते हुए प्रकट किया कि उक्त विक्रय पत्र में क्रय की गई भूमि के पडौस में उत्तर दिशा में विक्रेता की दुकान का उल्लेख है, लेकिन वादग्रस्त नाल का उल्लेख नहीं है, जिससे भी वादग्रस्त नाल वादीया के स्वामित्व आधिपत्य की होना साबित नहीं होता है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की ओर से प्रदर्श-5 "निर्माण स्वीकृति" व "नक्शा प्रदर्शित" करवाया गया है जिसके अनुसार प्रतिवादी द्वारा ग्राउण्ड फ्लोर के निर्माण हेतु पेश किये गये नक्शे में उत्तर दिशा में मकान हीरालाल का उल्लेख किया गया है व प्रतिवादी को विक्रय की गई उत्तर दक्षिण 28 फीट भूमि तथा हीरालाल के मकान के बीच तीन फीट की ओपन लेण्ड का उल्लेख किया गया है, लेकिन यह तीन फीट ओपन लेण्ड प्रतिवादी की हो या इसमें प्रतिवादी का कोई हक अधिकार हो, ऐसा प्रतिवादी का अभिवचन नहीं रहा है बल्कि प्रतिवादी की ओर से क्रय किये गये सम्पूर्ण भूभाग 28X21 के (मकान से भिन्न स्थान) मध्य भाग में सीढियों के निर्माण की अनुमति हेतु नक्शा नगरपालिका में पेश किया जाना जो नगरपालिका से स्वीकृत होना दर्शित होता है। प्रतिवादी की ओर से पूर्व दिशा में प्रोजेक्शन निर्माण की अनुमति भी चाही गई जो नगरपालिका द्वारा प्रदान नहीं की जाना दर्शित होता है। नगरपालिका द्वारा प्रतिवादी को प्रदान की गई निर्माण स्वीकृति से सर्वप्रथम तो उसकी भूमि के उत्तर में 28 फीट की चौड़ाई के बाद हक अधिकार नहीं दिया गया है इसके अलावा स्वयं प्रतिवादी ने निर्माण स्वीकृति में अपने 28X21 फीट के भूखण्ड के मध्य भाग में सीढियों के निर्माण हेतु अनुमति चाही गई है, जिससे प्रतिवादी का यह कथन मानने योग्य नहीं रहता है कि उसने स्वयं के भूखण्ड व वादीया के दुकान के बीच नाल का निर्माण करवाया हो। स्वयं प्रतिवादी डी०ड०-1 जिरह में स्वीकार करता है कि उसने विवादित नाल 1995 में बनाई लेकिन निर्माण स्वीकृति में नाल की अनुमति ली या नहीं उसे याद नहीं है। उल्लेखनीय हैं कि प्रदर्श ए-5 में नाल निर्माण की अनुमति नहीं है। गवाह जाहिर करता है कि उसने नाल बाद में बनाई थी, लेकिन उल्लेखनीय है कि निर्माण स्वीकृति प्रदर्श ए-5 दिनांक-15.10.1996 के अनुसरण में जारी हुई है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी का यह कथन स्वतः मानने योग्य नहीं रह जाता है कि उसने निर्माण स्वीकृति जारी होने से पूर्व वर्ष-1995 में नाल का निर्माण करवाया हो। डी०ड०-1 रमेश यह भी स्वीकार करता है कि उसने प्रदर्श ए-5 में छोड़ी गई जमीन का हवाला नहीं है लेकिन उसने जमीन छोड़ी थी उसी में नाल का निर्माण करवाया था। उल्लेखनीय है कि प्रदर्श ए-5 के साथ



सलग्न नक्शे के अनुसार प्रतिवादी ने क्रयशुदा 28X21 फीट पर ही निर्माण की स्वीकृति चाही थी जिसमें सीढियां बीच में देने का नक्शा पेश किया था। इस नक्शे के अनुसार उत्तर दिशा में उसने स्वयं की क्रयशुदा 28 फीट भूमि में से नाल हेतु भूमि छोड़कर शेष भूमि पर निर्माण की अनुमति चाही हो ऐसा भी दर्शित नहीं होता है। प्रदर्श ए-5 के अवलोकन से प्रतिवादी द्वारा उत्तर दिशा में क्रयशुदा भूमि में से कोई भूमि छोड़ना या नाल बनाने हेतु छोड़ना दर्शित नहीं होता है।

14. इसके अतिरिक्त प्रतिवादी ने नगरपालिका से भू पटरी 5.6X28 फीट प्रदर्श ए-2 से क्रय करना बताया जिसके साथ सलग्न नक्शे के अनुसार भी मात्र प्रतिवादी के निर्माणशुदा 28X21 फीट के आगे की खांचा भूमि क्रय करना दर्शित होता है लेकिन वादग्रस्त नाल के आगे की भूमि नगरपालिका से क्रय की गई भूमि में शामिल हो, ऐसा प्रदर्श ए-2 से साबित नहीं होता है। फिर नाल का निर्माण पूर्व का होना व वादी के छज्जे, बालकनी, लेन्टर्न इत्यादि में ही शामिल होना दर्शित होता है।

15. प्रतिवादी की ओर से रूपलाल का शपथ पत्र प्रदर्श ए-3 व महेश का शपथ पत्र प्रदर्श ए-4 प्रदर्शित करवाया जिसके माध्यम से यह प्रकट किया गया कि प्रतिवादी ने हीरालाल से 588 वर्गफीट भूमि विक्रय की गई थी लेकिन कब्जा 567 वर्गफीट का ही दिया गया व सीढियों का निर्माण प्रतिवादी द्वारा किया गया, लेकिन प्रतिवादी स्वीकार करता है कि उक्त दोनों गवाहान जीवित है लेकिन उन्हें प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में पेश नहीं किया गया। यदि उक्त दोनों व्यक्ति साक्ष्य में उपस्थित होते तो उनके शपथ पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वादीया को जिरह का अवसर प्राप्त होता। ऐसी स्थिति में इन शपथ पत्रों के आधार पर वादीया की साक्ष्य का खण्डन होना नहीं पाया जाता है।

16. कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक-02.12.2016 व उसके साथ सलग्न नजरी नक्शा के अवलोकन से भी वादग्रस्त नाल के आगे पश्चिम तरफ किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया हुआ नहीं होना व नाल में आने जाने में किसी प्रकार की रूकावट नहीं होना उल्लेखित किया गया है। इसी कमिश्नर रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतिवादी द्वारा अपने मकान में आने जाने हेतु दक्षिण दिशा में नाल का निर्माण तीनों मंजिल तक करना भी दर्शित होता है, जिससे भी वादग्रस्त नाल वादीया के स्वामित्व की नहीं होकर प्रतिवादी की हो, यह मानने योग्य नहीं रह जाता है।

17. वादीया ने अपनी साक्ष्य से वादग्रस्त नाल व उससे लगती हुई दुकान अपनी माता गटुबाई से वसीयत के माध्यम से प्राप्त होना साबित किया है, जो नाल प्रतिवादी की क्रयशुदा भूभाग का हिस्सा हो, प्रतिवादी ने वादग्रस्त नाल का निर्माण कराया हो, यह साबित होना नहीं पाया जाता है। फलस्वरूप विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए यह बिन्दू वादीया के पक्ष में तय करने में कोई अवैधता अनियमितता एवं भूल करना नहीं पाया जाता है।



तनकी संख्या-2 व 4

18. इन तनकियों को सिद्ध करने का भार वादीया पर था। वादीया ने अपने वाद पत्र में वादग्रस्त नाल के ठीक आगे पिल्लर खडा कर रेत सीमेंट गिट्टी से भर रहे हैं और नाल में आने जाने के रास्ते को रोककर रास्ता अवरुद्ध करने के आशय से पिल्लर बना रहे हैं जिस बाबत फोटोग्राफ प्रदर्श-1 से 4 को पेश कर प्रदर्शित करवाया है लेकिन फोटो प्रदर्श-1 व 3 के अवलोकन से वादग्रस्त नाल के ठीक आगे पिल्लर लगा कर नाल में आने जाने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया हो ऐसा दर्शित नहीं होता है। वादीया का गवाह पी०ड०-2 बाबुलाल जिरह में स्वीकार करता है कि नाल के सामने कोई निर्माण कार्य नहीं है। इसी प्रकार वादीया का साक्षी पी०ड०-3 शाकीर मन्सुरी भी जिरह में स्वीकार करता है कि नाल के नीचे सामने कोई निर्माण कार्य नहीं कर रखा है। मेन सडक से नाल में आसानी से आया जाया सकता है, जिससे वादग्रस्त नाल के आगे प्रतिवादी द्वारा कोई निर्माण कर नाल में आने जाने के रास्ते को अवरुद्ध करना या नाल के रास्ते में पिल्लर निर्माण करना स्वयं वादीया की साक्ष्य से साबित नहीं होता है।

19. वादीया ने वादग्रस्त नाल की आवगी दीवार के उपर एवं दीवार के समानान्तरण पश्चिम की ओर प्रतिवादी द्वारा निर्माण करना बताया लेकिन वादीया की ओर से प्रदर्शित फोटोग्राफ प्रदर्श-1 के अवलोकन से वादग्रस्त नाल के दरवाजे को छोड कर प्रतिवादी का निर्माण होना दर्शित होता है एवं प्रदर्श-2 फोटोग्राफ से भी वादग्रस्त नाल स्पष्ट दर्शित होती है। स्वयं वादीया की ओर से नाल की उसकी दीवार पर उपर प्रतिवादी की ओर से क्या व कितना निर्माण किस प्रकार का किया, इस बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं की है व प्रदर्श-3 फोटोग्राफ से प्रतिवादी द्वारा वादीया की भूमि पर अतिक्रमण या निर्माण करना दर्शित नहीं होता है।

20. जहां तक प्रतिवादी द्वारा अपने क्रयशुदा भूभाग पर बनाये गये मकान/दुकान के आगे की भूमि पर निर्माण करने का प्रश्न है, प्रतिवादी अपनी दुकान के सामने 10 फीट लम्बाई में दुकान बनाना स्वीकार करता है, लेकिन प्रदर्श-2 अनुसार प्रतिवादी को विक्रय की गई भूपट्टी भूमि का माप 5.6 गुणा 28 फीट है, लेकिन इससे अधिक भूमि पर प्रतिवादी निर्माण करना स्वीकार करता है। साथ ही प्रकट करिता है कि उसने "अतिरिक्त 4.5 फीट भूमि" को क्रय करने का आवेदन नगरपरिषद में कर रखा है, लेकिन इसे क्रय किया हो, ऐसा कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है, लेकिन प्रतिवादी के निर्माण से वादीया के आवागमन का मार्ग अवरुद्ध होना नहीं पाया जाता है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा नगरपरिषद की भूमि पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में नगरपरिषद कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

21. वादीया ने अपने अभिवचन व साक्ष्य में प्रतिवादी द्वारा वादीया की नाल में तोडफोड कर नाल की तरफ पूरी दीवार घेर कर दरवाजा रखना, नाल के उपर वाली फालकी के भाग को तोडना बताया जो फोटोग्राफ प्रदर्श-2 व 4 से दर्शित होता है जिसका खण्डन प्रतिवादी नहीं कर पाया है। वादीया ने प्रतिवादी द्वारा नाल की ओर दरवाजा रखना भी बताया जिस बाबत



प्रतिवादी का कथन है कि दरवाजा पहले से रखा हुआ था लेकिन वह स्वीकार करता है कि पहले उसका निर्माण ग्राउण्ड तक ही था प्रथम व द्वितीय तल का निर्माण बाद में किया है जिससे प्रतिवादी द्वारा प्रथम व द्वितीय तल के निर्माण के दौरान दरवाजा रखना दर्शित होता है। फोटोग्राफ प्रदर्श-2 व 4 तथा कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक-02.12.2016 व सलग्न नजरी नक्शा से भी वादग्रस्त नाल के दरवाजे के आगे किसी प्रकार का कोई निर्माण करना या नाल में आवागमन अवरुद्ध करना दर्शित नहीं होता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर विस्तृत विवेचन करते हुए तनकी संख्या-2 को वादीया के विरुद्ध एवं तनकी संख्या-4 को आंशिक तौर पर वादीया के विरुद्ध विनिश्चित करने में मेरे विनम्र मत में कोई अवैधता अनियमितता एवं भूल करना नहीं पाया जाता है, फलस्वरूप उक्त निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई आधार दर्शित नहीं होता है।

तनकी संख्या-4

22. उपरोक्त विवेचन के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए वादग्रस्त नाल "वादीया के स्वामित्व" की होने बाबत घोषणा करने व प्रतिवादी द्वारा किये गये "अवैध निर्माण को हटाने", वादग्रस्त नाल की फालकी के तोड़े गये भाग को पूर्ववत करवाने एवं नाल के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करने बाबत पारित निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई आधार दर्शित नहीं होता है एवं अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आ दे श

23. अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत अपील विरुद्ध रेस्पोंडेंट/वादीया खारिज की जाकर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक-25.04.2023 की पुष्टि की जाती हैं। डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे।

(आशा कुमारी)
जिला न्यायाधीश, प्रतापगढ़

24. निर्णय आज दिनांक-23.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशा कुमारी)
जिला न्यायाधीश, प्रतापगढ़